न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : पुराने 86/1993 पुनः दर्ज 156/08

वादीगणः– बनाम प्रतिवादीगणः–

1. गोकल के कायम मुकाम–
   1/1 जड़ावली बेवा गोकल,
   1/2 अमराराम पुत्र गोकल,
   1/3 दयालराम पुत्र गोकल,
   1/4 मुन्रा पुत्री गोकल,
   1/5 मीरा पुत्री गोकल
   जातियान कुमावत निवासीगण कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज.।
2. भीकाराम वल्द भोमा के कायम मुकाम
   2/1 जानकीदेवी बेवा भीका
   2/2 थानाराम पुत्र भीका
   2/3 माधुराम पुत्र भीका
   2/4 पप्पूराम पुत्र भीका
   2/5 झणकारी पुत्री भीका व
   2/6 सुवादेवी पुत्री भीका
   जातियान कुमावत निवासीगण कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज.।
3. पूना वल्द भोमा जाति कुमावत निवासी कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज.

बनाम

1. हरजी वल्द लाला फौत के कायम मुकाम
   1/1 पाबूराम वल्द हरजी
2. घेवर वल्द केशा के कायम मुकाम
   2/1 महाराम पुत्र घेवर
   2/2 हड़मानराम पुत्र घेवर
   2/3 तेजाराम पुत्र घेवर
   2/4 पिस्ता पुत्री घेवर
   2/5 कबूदेवी पुत्री घेवर
   जातियान मेघवाल निवासीगण कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज.
3. पीरू पुत्र केशा
4. मांगु पुत्र केशा
   जातियान मेघवाल निवासीगण कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण
5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज.

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरुस्ती रेकर्ड अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 125 भू राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजूः. 18.10.1993

तारीख रजूः 23/6/2008

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बाहरठ, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री भाकरसिंह भाटी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः–15.07.2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरुस्ती रेकर्ड अन्तर्गत धारा 53एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 125 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–लाम्बिया,तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 914 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा किस्म बा. द्वितीय में वाके है व इस पूरी जमीन में वादीगण का 1/2 हिस्सा बतौर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्तकार के हैं व इसी रूप में मौके पर वादीगण का 1/2 हिस्से में अलग से हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण के स्वर्गीय पिता भोमा उर्फ भोला पुत्र रामा का 1/2 हिस्से के बतौर खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज है, जो फौत हो चुके है। मगर पटवारी हल्का ने वादीगण के नाम का फौतेदगी म्यूटेशन नहीं भरा व भोमाराम उर्फ भोलाराम को फौत हुए करीब 10वर्ष हो चुके है। उनके फौत होने के बाद से वादीगण ही बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त करते है। नकल जमाबंदी, गिरदावरी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकल साथ पेश की हैं। प्रतिवादीगण की नीयत खराब है, और वह वादीगण की उनके 1/2 हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 05.10.1993 को तमाम प्रतिवादीगण वादीगण की 1/2 हिस्से की भूमि में वादीगण द्वारा बोई हुई ज्वार की फसल जबरदस्ती काटने लगे व वादीगण द्वारा मना करने पर झगड़ा टन्टा किया व वादीगण को धक्का धूम दिया व गाली गलोच की। इस बाबत् वादीगण ने पुलिस थाना कालू पर रिपोर्ट की व पुलिस उप अधीक्षक जैतारण को भी रिपोर्ट प्रेषित की। इस प्रकार प्रतिवादीगण की नीयत खराब है व वादीगण की 1/2 हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जमीन का खाता एक होने व लगान शामिल होने से वादीगण उक्त वर्णित आराजी जिसे आगे दावे की जमीन को मुतदाविया के नाम से निर्दिष्ट किया जावेगा, का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण की जमीन का तकासमा करवाने का कहा। मगर उन्होने जमीन का तकासमा कराने से ईन्कार कर दिया व गाली गलोच की, मार पीट कर चौटे पहुँचाई, बेदखल करने का प्रयास किया व फसल काट कर चुरा कर ले गये, इसलिये दावा तकासमा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादीगण जमीन मुतदाविया के 1/2 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है व वादीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की जमीन में काश्त करे उससे प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करने के कतई अधिकारी नहीं हैं व प्रतिवादीगण वादीगण को उनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन से बेदखल करने पर आमादा है, किन्तु ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने की कोशिश की तो वादी ऐसा हरगीज नहीं होने देंगे, जिससे टन्टा फसाद होगा व वादीगण का प्रतिवादीगण के विरुद्ध बार-बार दीवानी, फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रासिडिंग्स होगी व वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकता। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण के पिता श्री भोमा पुत्र रामा कौम कुमावत निवासी कांवलिया खुर्द जो वादीगण के स्वर्गीय पिता है, का जमीन मुतदाविया खसरा नम्बर 914 रकबा 15 बीघा 7 बिश्वा किस्म बारानी II सरहद मौजा लाम्बिया के 1/2 हिस्से पर 15.10.1955 के पूर्व से बतौर काश्तकार के कब्जा व काश्त था व बन्दोबस्त विभाग द्वारा 1/2 हिस्से का उक्त आराजी का पर्चा लगान वादीगण के पिता भोमा पुत्र रामा के नाम का जारी किया गया व 1/2 हिस्सा में भोमा पुत्र रामा के नाम का ही इन्द्राज हुआ। मगर बाद में समय समय पर बनाई जाने वाली जमाबंदी खतौनी में पटवारी हल्का द्वारा भोमा पुत्र रामा की जगह भोला पुत्र रामा का इन्द्राज कर दिया गया जो एक कलेरीकल एरर की तारीफ में आता है व गलत इन्द्राज है जो काबिल दुरुस्ती के है जिसे दुरुस्त किया जावें। उक्त नाम दुरुस्त कर उनके उत्तराधिकारी बतौर वादीगण के नाम दर्ज किया जावें, केस हेतु दावा दुरुस्ती के साथ पेश किया हैं। तकासमा आराजी के दावे में लैण्ड

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

होल्डर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादीगण बनाये गये है, उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। बिनाय दावा दिनांक 05.10.1993 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल करने के लिए वादीगण के साथ झगड़ा टन्टा कर गाली गलोच करने व वादीगण की ज्वार की फसल काट कर चुराने व तकासमा करने से ईन्कार करने बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम लाम्बिया तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर मयाद व अख़त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वकील मय वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते ज.दा. तलब किये गये। प्रतिवादीगण ने दिनांक 6.9.1994 को ज.दा. पेश किया, सा.मि. है। दिनांक 20.3.1995 को 10 सी.पी.सी. का वकील प्रति0 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार होकर पूर्ववर्ती वाद सं. 77/93 हरजी बनाम गोकल के संलग्न किया। चूंकि उक्त पूर्ववर्ती वाद वकील द्वारा नो इन्सट्रक्शन plead करने तथा बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से अदम पैरवी व हाजिरी में खारिज किया गया तथा इस वाद को पुनः दर्ज किया गया। दिनांक 10.2.2014 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रस्तुत किए गए, जिन्हे बाद विधिक सुनवाई की जाकर (का.मु. रेकर्ड पर लिये जाकर) दिनांक 21.05.2014 को संशोधित टाईटल सामिल मिसल किया गया। दिनांक 21.05.2014 को वादीगण सं. 1/2, 1/3,2/2,2/3,2/4 व 3 स्वयं तथा 1/1,1/4,1/5,2/1,2/5 व 2/6 जरिए अधिवक्ता श्री चावण्डदान बाहरठ ने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1,2/1 से 2/3, 3 व 4 ने स्वयं व 2/4,2/5 जरिए अधिवक्ता श्री भाकरसिंह भाटी द्वारा एक तहरीरी राजीनामा पेश किया, जिसे पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से उक्त राजीनामा में अंकित किया कि सरहद मौजा लाम्बिया तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 914 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी आई हुई है जिसमे वादीगण 1/2 हिस्से के भूमि पर काबिज ख़ातेदार काश्तकार है व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरान की भूमि में वादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में गलत हिस्सा दर्ज हो गया था तथा वादीगण का नाम भी गलत दर्ज हो गया जबकि वादीगण 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। वादीगण के हिस्से की भूमि मौके पर अलग बंटी हुई है व प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि मौके पर अलग बंटी हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार बंटवारा व़ रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो इसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का उज्र ऐतराज आपत्ति नही होगी। वादी द्वारा अपने वाद-पत्र के साथ चाही गई ईस्तदुआ माफिक वादी डिक्री किया जावें व वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर वादीगण के हिस्से की भूमि पर नेकमबन्दी कर पत्थर गढी की जावें तो इसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र ऐतराज नही हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि बाबत् किया गया राजीनामा से हम प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से पाबन्द रहेगें तथा भविष्य में उक्त राजीनामा को किसी प्रकार न्यायालय में चुनौती नही दे सकेगें। इस प्रकार माफिक राजीनामा उभय प्रक्षकारान ने वाद डिकी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने तथा वादीगण व उनके पिता गोकल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भीका तथा पूना के पिता का गलत दर्जनाम भोला के स्थान पर दुरूस्त नाम भोमा किये जाने तथा तकासमा आराजी करवाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी राजीनामा के तथ्यों को संपुष्ट कर स्वीकारोक्ति दी है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र, राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात का गहतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक राजीनामा वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना एवं वादीगण के पिता गोकल व भीका, वादी सं. 3 पूना के पिता की वल्दियत वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भोला के स्थान पर भोमा दर्ज किया जाना, विवादित उक्त विवादित आराजी में वादीगण को 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित जाना एवं तकासमा बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर विभाजन प्रस्ताव बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मंगवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजीनामा प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा लाम्बियां तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 914 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा बा.अ. की भूमि में वादीगण को 1/2 एवं प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा वादीगण व उनके पिता गोकल भीका तथा पूना के पिता का नाम भोला के स्थान पर भोमा दुरूस्त जरिए शुद्धि पत्र दर्ज किये जाने के आदेश दिए गये। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर तत्पश्चात उक्त विवादित भूमि का उभय पक्षकारानों में बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग किये जाने एवं मौके पर नाप चौप करके नेखम बन्दी/पत्थरगढी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जाने के आदेश दिए गए। तहसीलदार,जैतारण को इस हेतु अधिकृत किया गया तथा प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल हो। प्रा0डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर तहसीलदार से रिपोर्ट अर्थात् विभाजन प्रस्ताव बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पालना मंगवाई गई। न्यायालय हाजा पत्रांक/कोर्ट/2015/238 दिनांक 08/04/2015 को बंटवाड़ा रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - लाम्बिया पर दिनांक 15/07/2015 को तहसीलदार, जैतारण ने उक्त विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08/07/2015 पेश की, जिसे सामिल मिसल किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई। उपस्थित उभय पक्षकारानों तथा अधिवक्ता ने उक्त बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में अपनी सहमति / स्वीकारोक्ति व्यक्त की हैं। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव/ बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 08/07/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाना एवं बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2015 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-लाम्बिया,तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 914 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा किस्म बा. द्वितीय की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन, निम्नांकित रूप से किया जाता हैं व-वा0क्र0 39,429 47/14 में मुकदमुदा रिसीवरी की उक्त भूमि का [illegible] की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	जडावली बेवा गोकल, जमराराम पुत्र गोकल, दयालराम पुत्र गोकल, मुन्ना पुत्री गोकल, मीरा पुत्री गोकल, जानकीदेवी बेवा भीका थानाराम पुत्र भीका माधुराम पुत्र भीका पप्पूराम पुत्र भीका झणकारी पुत्री भीका, सुवादेवी पुत्री भीका, पूना वल्द भोमा कौम-कुमावत सा0 कावलियॉं खुर्द खातेदार।	914/1	7-13-00	बा0अ0	4.75 रू.
2	पाबूराम वल्द हरजी, महाराम पुत्र घेवर हड़मानराम पुत्र घेवर तेजाराम पुत्र घेवर पिस्ता पुत्री घेवर कबूदेवी पुत्री घेवर, पीरू पुत्र केशा मांगु पुत्र केशा कौम-मेघवाल सा0 कावलियॉं खुर्द खातेदार।	914	7-14-00	बा0अ0	4.77 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2015 निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2015 की छाया प्रतियां भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादीगणः-

1. गोकल के कायम मुकाम-
   1/1 जडावली बेवा गोकल,
   1/2 अमराराम पुत्र गोकल,
   1/3 दयालराम पुत्र गोकल,
   1/4 मुत्रा पुत्री गोकल,
   1/5 मीरा पुत्री गोकल
   जातियान कुमावत निवासीगण कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज.।
2. भीकाराम वल्द भोमा के कायम मुकाम
   2/1 जानकीदेवी बेवा भीका
   2/2 थानाराम पुत्र भीका
   2/3 माधुराम पुत्र भीका
   2/4 पप्पूराम पुत्र भीका
   2/5 झणकारी पुत्री भीका व
   2/6 सुवादेवी पुत्री भीका
   जातियान कुमावत निवासीगण कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज.।
3. पूना वल्द भोमा जाति कुमावत निवासी कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज.

बनाम प्रतिवादीगणः-

1. हरजी वल्द लाला फौत के कायम मुकाम
   1/1 पाबूराम वल्द हरजी
2. घेवर वल्द केशा के कायम मुकाम
   2/1 महाराम पुत्र घेवर
   2/2 हड्मानराम पुत्र घेवर
   2/3 तेजाराम पुत्र घेवर
   2/4 पिस्ता पुत्री घेवर
   2/5 कबूदेवी पुत्री घेवर
   जातियान मेघवाल निवासीगण कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज.
3. पीरू पुत्र केशा
4. मांगु पुत्र केशा
   जातियान मेघवाल निवासीगण कावलियाँ खुर्द तहसील जैतारण
5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज.

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरुस्ती रेकर्ड अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 125 भू राजस्व अधि., 1956

मु०न०:रा०वा०स०:86/93-156/08

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री चावण्डदान बाहरठ, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री भाकरसिंह भाटी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण उपस्थित मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नवशा दिनांक 08.07.2015 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-लाम्बिया,तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 914 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा किस्म बा. द्वितीय की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं व-शा०न० 39, 4ब्र 47/94 में [illegible] रिसीवर की उक्त भूमि को वागुजाश्त की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	जडावली बेवा गोकल,अमराराम पुत्र गोकल, दयालराम पुत्र गोकल, मुन्ना पुत्री गोकल, मीरा पुत्री गोकल, जानकीदेवी बेवा भीका थानाराम पुत्र भीका माधुराम पुत्र भीका पप्पूराम पुत्र भीका झणकारी पुत्री भीका, सुवादेवी पुत्री भीका, पूना वल्द भोमा कौम-कुमावत सा0 कावलियाँ खुर्द खातेदार।	914/1	7-13-00	बा0अ0	4.75 रू.
2	पाबूराम वल्द हरजी, महाराम पुत्र घेवर हड़मानराम पुत्र घेवर तेजाराम पुत्र घेवर पिस्ता पुत्री घेवर कबूदेवी पुत्री घेवर, पीरू पुत्र केशा मांगु पुत्र केशा कौम-मेघवाल सा0 कावलियाँ खुर्द खातेदार।	914	7-14-00	बा0अ0	4.77 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2015 निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2015 की छाया प्रतियां भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली))

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3=00	स्टाम्प वकालतनामा	3=00
स्टाम्प वकालतनामा	3=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	6=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजान:-	14=00	मिजान:-	3=00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner